रा० कृ० सं० 169/12 बाबूराम / कन्हैयालाल

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर दिगर कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 23/9/2014 को पेश हों। [illegible]	
23-9-14	वकील उपस्थित वकील भागचन्द गहलोत [illegible] पेश करने का समय चाहते है, समय दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 27-10-2014 को पेश हो। [illegible] SDO	04 / 6/1/15
27/10/14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर दिगर कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 25-11-2014 को पेश हों। [illegible]	
25/11/14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर दिगर कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 05-01-2015 को पेश हों। [illegible]	
5/1/15	वकील उप०। प्र० सा० की तरफ तामिली रिपोर्ट का इन्तजार होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 16-2-15 को पेश हो। [illegible] SDO	
16/2/15	वकील उप०। प्र० सा० की ओर से वकील ओमप्रकाश [illegible] ने वकालतनामा पेश किया, सा० मि० किया गया। आज SDO सा० दिगर कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 21/4/15 को पेश हो। [illegible]	
21/4/15	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/6/2015 को पेश हों।	
23/5/15	राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय निमाज अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 5/6/15 को पेश हो। [illegible]	
5/6/15	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र निमाज पेश हुई वकील उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील [illegible] जवाब पेश नहीं करना चाहते, जवाब हेतु [illegible] दिया गया।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो ... की तामील में
	वकील वादिनी ने बहस हियायित किया कि विवादित आराजी की गाटा निर्णित वक्त तहसील दार के द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त करने का आदेश प्रदान करने की इल्तजा की। वकील जे०ला० ने हियायित किया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई लड़ाई झगड़ा टन्टा फसाद नहीं हुआ है। न ही कोई F.I.R. दर्ज है। ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अर्जी रिसीवर खारिज होने योग्य है। वादिनी का प्रा०पत्र खारिज करें। अतः पत्रावली का प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादिनी का प्रा०पत्र नारहित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली के तहत शुमार मुकद्दमा नम्बर से ... हो। बाद तकमील जावे दाखिल दफ्तर लेकर ... हो। ह० 5.2.20	